

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज
अभिलेख संख्या - 48/16-17

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिपणी
तारीख सहित

12/5/16

श्री. आनंद चन्द राणा, पिता चिदुड़ी राणा, कृष्णा देवी, पत्नी
ग्राम स्वजमुंडा अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री मो० खुशीया
पिता जी० चिदुड़ी राणा ग्राम स्वजमुंडा
अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 331
दिनांक 10.3.59 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
स्वजमुंडा	249	25	1,3,167 9 अंश	0.41570
व्हीगरा	248	17	2948, 3172 9 अंश प्लॉट	1.01370
				1.42940

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच
हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच
प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें।

नएफाजीव अंचल अधिकारी, कर्मचारी नियुक्ति आयोग, देवरी
हो जस कु का (पू 9 स पंजी 2) पर इ-प्राप्त आधिकार्य गतहित
पंक काम लि ले आ पि वि 15/4/16 हेतु आस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

3/6/16
30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या II के पृष्ठ संख्या 31 26 पर विकेता के पति के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति 1. डालचन्द राना, पिता श्री/श्री मति 2. कृष्ण देव) पति- रामन राना स्वजमुण्डा के नाम ... किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकबा	माल
स्वजमुण्डा	249	1,31679329	0.41570	3.25
धनीमरवा	248	2948,31729	1.01570	5.00

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।